इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना–14

(बिहार सरकार का एक स्वायतशासी संस्थान)

Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org

कार्यालय आदेश

इस संस्थान द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–03 / Faculty/Nursing College/IGIMS/2019 के तहत Associate Professer के नियुक्ति हेतु श्री संदीप कुमार सिंह, Tutor, Nursing College का चयन Associate Professor के रूप में EWS कोटा के तहत किया गया था। उनके द्वारा समर्पित अंचलाधिकारी, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र–14 दिनांक–05.07.2019 द्वारा जारी EWS प्रमाण पत्र संदिग्ध पाये जाने के कारण नियमानुसार इसकी जाँच जिलाधिकारी पूर्वी चम्पारण से कराने हेतु इस संस्थान के पत्र संख्या– 3973 दिनांक 24.09.2020 द्वारा अनुरोध किया गया। अंचल अधिकारी, रक्सौल ने अपने पत्र सं0– 341 दिनांक 31.05.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया कि अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संख्या 14 दिनांक 05.07.2019 को अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल द्वारा जाँचोपरांत एवं सुनवाई पश्चात श्री संदीप कुमार सिंह द्वारा वास्तविक तथ्य छुपाकर एवं गलत शपथ पत्र के आधार पर वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए गलत तरीके से EWS प्रमाण पत्र निर्गत करवाने के कारण अनुमंडल कार्यालय, रक्सौल के पत्रांक–35 दिनांक 15. 03.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

इस प्रकार श्री सिंह ने CCA (Conduct) Rule 1964 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सरकारी कर्मी के लिए निहित आचार नियमावली का उल्लंघन किया है। इस संबंध में संस्थान के अधिवक्ता से वैधिक सलाह ली गई। उनके द्वारा समर्पित वैधिक सलाह में श्री संदीप कुमार सिंह के विरूद्ध CCS (CCA) 1965 में निहित प्रावधान के तहत अनुशासनिक कारवाई करने का सलाह दिया गया और Associate Professer, Nursing College के रूप में की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करने क़ा सलाह दिया गया।

उक्त आलोक में इस संस्थान के पत्रांक 3706 दिनांक 23.06.2021 द्वारा श्री संदीप कुमार सिंह से कारण पृच्छा की गई। श्री कुमार ने दिनांक 24.06.2021 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई और पाया गया कि उनके द्वारा जानबुझकर वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए गलत तरीके से EWS का प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का अनुचित लाभ लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाते हुए अस्वीकृत कर दिया गया और उनका दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री संदीप कुमार सिंह, Tutor, Nursing college का दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

श्री संदीप कुमार सिंह का Associate Professor, Nursing college के रूप में की गई नियुक्ति को रद्द करने की कार्रवाई नियुक्ति शाखा द्वारा अलग से की जायेगी।

उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
उप निदेशक (प्रशा0)
इं0गाँ0आ0सं0, पटना

ज्ञापांकः– 4374 / प्रशा0 दिनांकः– 26/07/2021

प्रतिलिपिः–निदेशक कोषांग / उप निदेशक(प्रशा0) / चिकित्सा अधीक्षक–I&II / Dean(Acadmic) / Dean (Examination) / मुख्य प्रशासी पदाधिकारी / प्रशासी पदाधिकारी–I&II / वित्त एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी / सभी विभागध्यक्ष / प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज / श्री संदीप कुमार सिंह, नर्सिंग टयूटर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ई0गां0आ0सं0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, नियुक्ति शाखा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ। निदेश है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अग्रेतर कारवाई की जाए।

प्रतिलिपिः–S.E. (BME) को सूचनार्थ एवं विभागीय website पर upload करने हेतु प्रेषित।

26/7/21

उप निदेशक (प्रशा0)
इं0गाँ0आ0सं0, पटना